

सराहनीय कार्य जनपद सम्भल दिनांक 28.09.2019

आदित्य बिरला सनलाईक इंसोरेन्स कम्पनी लि० से धोखाधडी कर मृत व्यक्तियों को जीवित दर्शाकर एलआईसी की धनराशि प्राप्त करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार थाना गुन्नौर

दिनांक 26.09.2019 को श्री मनीष ओझा प्रबन्धक आदित्य बिरला सनलाईक इंसोरेन्स कम्पनी लि० की तहरीर के आधार पर धोखाधडी कर एलआईसी की धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पर मु०अ०स०-445/19 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री यमुना प्रसाद व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी गुन्नौर श्री अशोक कुमार के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28.9.19 को थाना प्रभारी गुन्नौर श्री प्रवीन सौलंकी ने मय हमराह पुलिस टीम के आदित्य बिरला सनलाईक इंसोरेन्स कम्पनी लि० से धोखाधडी कर मृत व्यक्तियों को जीवित दर्शाकर एलआईसी की धनराशि प्राप्त करने वाले अभियुक्त 1. दीपक गुप्ता 2. सत्यपाल 3. कमलेश कुमार 4.मुन्नी देवी को मस्कनों से गिरफ्तार किया गया ।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ पर अभियुक्त दीपक गुप्ता ने बताया कि मेरे पिताजी के दाहिने अंग पर फालिस पड गया था। तथा मेरे पिता की मृत्यु 6.3.17 को हो गयी थी । दिनांक 29.3.2017 को लगभग 15- 20 दिन बाद मेरे पास उमेश शर्मा पुत्र नामालूम नि० लाईनपार बबराला थाना गुन्नौर जिला सम्भल मेरे पास आया और बोला कि आप अपने पिता का बीमा करवाले मैं तुम्हें एक लाख रूपये दे दूंगा शेष पैसा मेरा होगा और खर्चा भी मेरा होगा । आपको किसी बात की कोई चिन्ता नहीं करनी है। मैं एक लाख रूपये के लालच में आ गया और दिनांक 29.3.17 को मैंने अपने पिता सुनील कुमार का बीमा पोलिसी नं०- 007276930 करा लिया। उसने मुझ पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को कहा जो मैंने जनसेवा केन्द्र से बनवाला किया।

पूछताछ पर अभियुक्त सत्यपाल ने बताया कि मेरे पिताजी के साप के काटने से मृत्यु हो गयी थी। तथा मेरे पिता की मृत्यु 3.5.17 को हो गयी थी। दिनांक 27.7.17 को लगभग मेरे पास योगेश पुत्र चन्द्रकेश नि० पतेई नासिर थाना रजपुरा और महिपाल नि० लाईनपार बबराला व स्थायी नि० लतीफपुर थाना गुन्नौर मेरे पास आया और बोला कि आप अपने पिता का बीमा करवाले मैं तुम्हें एक लाख रूपये दे दूंगा शेष पैसा मेरा होगा और खर्चा भी मेरा होगा । आपको किसी बात की कोई चिन्ता नहीं करनी है। मैं एक लाख रूपये के लालच में आ गया और दिनांक 12.7.17 को मैंने अपने माती उषा

देवी का बीमा पोलिसी नं0- 007345064 करा लिया। उसने मुझ पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को कहा जो मैंने जनसेवा केन्द्र से बनवाला किया।

पूछताछ पर श्रीमति मुन्नी देवी ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु ट्मर के कारण माह जुलाई 2017 हो गयी थी। किन्तु एजेन्ट विकाश लाईन पार लेखपाल कालोनी बबराला थाना गुन्नौर मेरे पास आया। आप पति की पोलिसी करवालो आपको सिर्फ हस्ताक्षर करने है। वाकी काम मेरा है। आपको एक लाख रूपया दूंगा। शेष पैसा मेरा रहेगा। मैंने लालच मे आकर पोलिसी नं0 007342053 करा ली। तथा 24.8.17 का जनसेवा केन्द्र से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया ।

पूछताछ पर अभियुक्त कमलेश कुमार ने बताया कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 10.4.16 को साप के काटने के कारण हो गयी थी। माह सितम्बर 2016 मे मुझे जाविर अली पुत्र नामूल ग्राम वेला थाना असमौली मेरे घर पर आया । और बोला कि आप अपने भाई का मेरे द्वारा बीमा करवाले मैंने कहा मेरे भाई की 5 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। अब बीमा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि इससे आपको कोई लेना देना नही है। आप तो जो मैं कहू वो करते रहना वाकी काम मेरा है । उसने मेरा बीमा पोलिसी नं0- 007111061 कर दिया और मेरे से जो जो कागज मांगता रहा मैं उसे देता रहा। उसने कई जगह पर मेरे पर हस्ताक्षर करवाये थे। जिसके आधार पर दिनांक 10.10.16 का मृत्यु प्रमाण पत्र मुझे बनवाकर लाकर दिया था। जो उसने मेरे बीमा पोलिसी मे लगाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. दीपक गुप्ता पुत्र सुनील कुमार नि0 24/12 मौ0 शिवपुरी कस्बा बबराला थाना गुन्नौर जिला सम्भल
2. सत्यपाल पुत्र धर्मपाल नि0 हरगोविन्दपुर थाना गुन्नौर जिला सम्भल
3. कमलेश कुमार पुत्र कल्लू नि0 देहरी जग्गू थाना असमौली जिला सम्भल
4. श्रीमति मुन्नी देवी पत्नी स्व0 विजय सिंह नि0 दतियावली थाना हयातनगर जिला सम्भल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रवीन सौलंकी -प्र0नि0 थाना गुन्नौर जिला सम्भल
2. व0उ0नि0 श्री धनवान सिंह
3. का0 677 मोहित कुमार
4. का0 638 रूपकुमार
5. म0का0 94 विदुषी

